मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 24, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम लसुडिया निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में निर्धारित दर से डोडा-चूरा की खरीदी नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है."

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल शहर के हर्षवर्धन नगर क्षेत्र की सीवेज चेम्बर ठीक कराये जाने;

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम झावल में हाईस्कूल खोले जाने ;

(3) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य, बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम जैनाबाद में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम पिपरी से बड़सीधी फाटा तक सड़क बनाये जाने,
(ग) ग्राम फोफनार से बोदरली फाटा तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम जैनाबाद एवं बुरहानपुर के बीच ताप्ती नदी पर रपटा बनाये जाने,
(ड.) ग्राम मोहनगढ़ से शेखपुरा तक सड़क बनाये जाने,
(च) ग्राम इच्छापुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने; तथा
(छ) ग्राम बारोली बोटा से इच्छापुर तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्री पन्चूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पटपरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(5) श्री रामलाल रोतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम भोलगढ़ के लिये पक्की सड़क बनाये जाने, एवं

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार, मिहोना, आलमपुर एवं दबोह नगर के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल तथा तार बदले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः).

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 जुलाई, 2004